




न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर,
सर्किट कोर्ट-रीवा (म०प्र०)

R 5226-II/16



अमरेश्वरी गीतिका
या अजय सिंह 16-5-16
सुत बिना गदः
ह
सर्किट कोर्ट रीवा

13-301

1. कमलेश्वर सिंह तनय स्वर्गीय रामसुन्दर सिंह
2. भास्कर सिंह तनय स्वर्गीय रामसुन्दर सिंह
3. प्रभात सिंह तनय स्वर्गीय रामसुन्दर सिंह
4. नागेन्द्र सिंह तनय स्वर्गीय रामसुन्दर सिंह
5. नारेन्द्र सिंह तनय स्वर्गीय रामसुन्दर सिंह
6. श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी स्वर्गीय रामसुन्दर सिंह (मृतक)
सभी निवासी ग्राम-कोटहा, तहसील-गोपदबनास, जिला-सीधी (म०प्र०)
7. अशोक सिंह तनय स्वर्गीय ददई सिंह
8. अनूप सिंह तनय स्वर्गीय ददई सिंह
9. विजय सिंह तनय स्वर्गीय ददई सिंह
10. आनंद सिंह तनय स्वर्गीय ददई सिंह
11. पुष्पराज सिंह तनय स्वर्गीय ददई सिंह
सभी निवासी ग्राम-देवसर, तहसील-देवसर, जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. यदुनन्दन सिंह तनय हरिवंश सिंह चौहान, निवासी ग्राम-डेम्हा,
तहसील-गोपदबनास, जिला-सीधी (म०प्र०)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सीधी, जिला-सीधी (म०प्र०)

गीटनिगरानीकर्तागण

M. D. Singh

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R5226-II/16

जिला-सीधी

कमलेश्वर सिंह बगैर/ यदुनन्दन सिंह बगैर:

(1)	(2)	(3)
<p>5-8-19</p>	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अमरेश अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 437/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	